



Govt. Engineering College, Ajmer

(An Institute of Govt. of Rajasthan)

Barliya Choraha National Highway No. 8, Ajmer - 305025

Web Site : www.ecajmer.ac.in

Email : principal@ecajmer.ac.in

+91 9214210952

Fax +91 145 2971024

क्रमांक: राअमअ/2021/757

दिनांक : 10/2/202

आवश्यक सूचना

वित्तीय वर्ष 2020 - 21 में आय की अनुमानित गणना प्रपत्र आयकर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. अतः सभी संकाय सदस्यों / स्टाफ को अनुमानित आय गणना प्रपत्र मय धारा 80 सी में छूट हेतु दस्तावेजों की प्रति/आदि निवेश किया जा चुका हो को पूर्ण कर मय साक्ष्य दस्तावेजों के दिनांक 20.02.2021 तक आवश्यक रूप से लेखाशाखा में उचित माध्यम से जमा करवा दे। आय विवरण पत्र समय पर प्राप्त नहीं होने पर लेखाशाखा द्वारा नियमानुसार आयकर की काटौती सीधे वेतन से कर ली जायेगी जिसका उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक का होगा।
2. आयकर की धारा 80 जी व 89 (i) के अर्न्तगत छूट के लाभ में संबंध में महाविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी स्वयं के स्तर पर आयकर विवरणी भरकर आयकर विभाग से छूट प्राप्त करें।
3. मकान किराया भत्ता में आयकर छूट के लिए अजमेर नगर निगम क्षेत्र का किरायानामा/किराया रसीद मय मकान मालिक का PAN कार्ड प्रस्तुत करें।
4. अनुमानित आय में आयकर विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार आय शामिल की जावे। अन्य आय संबंधी सूचना आयकर विभाग के निर्देशानुसार देय होगी।
5. कार्मिक द्वारा आय संबंधी किसी भी प्रकार के तथ्य छिपाने पर किसी भी भावी कार्यवाही के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर।
2. वेब मास्टर।
3. रक्षक पत्रावली।
4. कार्यालय प्रतिलिपि।


उप कुलसचिव


उप कुलसचिव